पत्रांक–03/SBM–20–03/2015 266 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक–23/3/17

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना के अधीन नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध राज्यांश की राशि 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रूपये मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं0– 265 दिनांक–23/3/17 के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। इस योजना के महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10.00 करोड़ रू0 की निकासी की जानी है। SBM योजनान्तर्गत ठोस कचड़ा प्रबंधन घटक में 71.97 करोड़ रू0 केन्द्रांश के रूप में विमुक्त किया गया है। विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश के रूप में 10.00 करोड़ रू0 की निकासी वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जाना है। उक्त के आलोक में राज्यांश मद में 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को विमुक्त किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 वित्त विभाग के पत्रांक–423 दिनांक–31.03.2016, पत्रांक–5193 दिनांक–28.06.2016 एवं पत्रांक–811 दिनांक–12.08.16 (वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुपूरक बजट) के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाए नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) माँग सं0– 48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरो का विकास, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0312–स्वच्छ भारत मिशन, विषय शीर्ष–3105–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड –P2217031910312 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि 90.00 करोड़ रू0 (नब्बे करोड़ रूपये मात्र) की अवशेष राशि 10.00 करोड़ रू0 में से विकलनीय होगा।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.3.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 266 दिनांक–23.3.17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 266 दिनांक–23.3.17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त, भागलपुर नगर निगम–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर स्मार्ट सिटी लि0/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–03/SBM–20–03/2015 265 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 23/03/17

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना के अधीन नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध राज्यांश की राशि 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रूपये मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) योजना राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। इस योजना के महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10.00 करोड़ रू0 की निकासी की जानी है। SBM योजनान्तर्गत ठोस कचड़ा प्रबंधन घटक में 71.97 करोड़ रू0 केन्द्रांश के रूप में विमुक्त किया गया है। विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश के रूप में 10.00 करोड़ रू0 की निकासी वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जाना है। उक्त के आलोक में राज्यांश मद में 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को विमुक्त किया जायेगा।

3. उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 वित्त विभाग के पत्रांक–423 दिनांक–31.03.2016, पत्रांक–5193 दिनांक–28.06.2016 एवं पत्रांक–811 दिनांक–12.08.16 (वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुपूरक बजट) के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। ये सभी योजनाए नई है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. 10.00 करोड़ रू0 (दस करोड़ रू0 मात्र) माँग सं0– 48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरो विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरो का विकास, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0312–स्वच्छ भारत मिशन, विषय शीर्ष–3105–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड –P2217031910312 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि 90.00 करोड़ रू0 (नब्बे करोड़ रूपये मात्र) की अवशेष राशि 10.00 करोड़ रू0 में से विकलनीय होगा।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0–१५/टि0 पर दिनांक– २१-०३-१७ को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0– १५/टि0 पर दिनांक– २१-०३-१७को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.3.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 265 दिनांक– 23/03/17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–03/SBM–20–03/2015 265 दिनांक– 23/03/17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी नगर निकाय, बिहार/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।